डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2001—फाल्गुन 7, शक 1922

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक 51/ऊ. वि./2001.—राज्य शासन, धारा 5 भारतीय विद्युत् अधिनियम 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) सहपठित धारा 58 (4) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 भाग सात में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 22/ऊ. वि./2000 रायपुर दिनांक 15-11-2000 में आंशिक उपान्तरण में एतद्द्वारा आगामी आदेश तक श्री जी. एस. सोहल, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

नियुक्ति की शर्तें पृथक् से जारी की जायेंगी .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

Raipur the 2nd February 2001

NOTIFICATION

No. 51/ED/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Electricity Supply Act, 1948 (LIV of 1948) read with sub-section (4) of Section 58 of Part VII of Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 and in partial modification of this department's notification No. 22/ED/2000 Raipur dated 15.11.2000, the State Government hereby

appoints temporarily until further orders Shri G. S. Sohal, as Chairman of the Chhattisgarh State Electricity Board, from the date of his joining.

The terms and conditions of appointment shall be issued separately.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. L. AGRAWAL, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.